प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.02.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 07.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त भगवान दास द्वारा वादी की बहन उम्र 22 वर्ष के साथ छेडछाड करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-74 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन व पीडिता के बयानों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए धारा-74 बीएनएस का लोप कर धारा-64(1)/351(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। ।

आज दिनांक 07.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त भगवान दास पुत्र भवानी लाल निवासी हाल पता धामा एन्कलेव राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम शाहबाद शिवनगर थाना जैनीपुर जिला शाहजहाँपुर को पाइपलाइन के पास चौकी क्षेत्र लोनी बोर्डर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं वादी के घर में काम करता था, मैंने वादी की बहन को अकेला पाकर उसके साथ छेडछाड की और गलत काम कर दिया था । आज में कही जाने की फिराक में खडा था कि आपने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

भगवान दास पुत्र भवानी लाल निवासी हाल पता धामा एन्कलेव राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, स्थायी पता ग्राम शाहबाद शिवनगर थाना जैनीपुर जिला शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में करीब 20 दिन पूर्व गोवंश के अवशेष फेंकने वाले गोकशी में रहे पूर्व गैंगस्टर 02 बाइक सवार गौतस्करो से हुई मुठभेड़ में 02 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार तथा गिरफ्तार अभियुक्तों से गोकशी की घटना से संबंधित अवैध शस्त्र तथा छुरा रस्सी आदि बरामद

दिनांक 06.02.2025 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण एब थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा बाइक सवार 02 गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ के दौरान साजिद उर्फ सदुआ पुत्र बाबू निवासी उझारी थाना थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ! हाल पता पीली पट्टी जनता कॉलोनी थाना वेलकम जाफराबाद दिल्ली जो पूर्व में अमरोहा से गोकशी मैं 25000 का इनामी रह

चुका है तथा दूसरा बज्जू उर्फ अज्जू उर्फ वजाहत पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ढक्का थाना सैदनगली जो पूर्व में गोकशी के अभियोग में ₹15000 का इनामी रह चुका है पैर मे गोली लगने से घायल हुऐ है ! जो थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में मिले चार गोवंशों के अवशेष फेंकने की घटना के आरोपी है जो एनसीआर क्षेत्र से होंडा सिटी में गाय चोरी कर दिल्ली में काटकर उनके अवशेषों को थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में सड़क किनारे सीवर के गड्ढे में 02 प्लास्टिक के कट्टे में भरकर फेंक गए थे मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार अभियुक्तों पर गैंगस्टर सहित गोकशी/चोरी/ हत्या का प्रयास/शस्त्र अधिनियम आदि के 02 दर्जन से अधिक अभियोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद,संभल,अमरोहा, आदि मे पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना अंकुर विहार क्षेत्र में दिनांक 04.02.2025 को आकाश विहार चारदीवारी प्लॉट में मिले शव के सम्बन्ध में मृतक अबरार के परिजन वादी इशरार पुत्र लियाकत निवासी जब्बार गार्डन थाना अंकुर विहार द्वारा दिनांक 04.02.2025 को थाना अंकुर विहार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर दाखिल की थी, जिसके आधार पर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद पर मु0अ0स0 51/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में पतारसी/सुरागरसी व सर्विलांस सैल/सीसीटीवी फुटेज तथा मुखबिर की मदद से थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये मृतक अबरार की ईंट से पीटकर हत्या करने वाले अभियुक्त नफीस पुत्र हनीफ नि0 ग्राम सैलपुरा थाना नूरपुर जिला बिजनौर हाल पता किराये का मकान (जमालुद्दीन) निकट तैय्यब मस्जिद जब्बार गार्डन थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को आज दिनांक 07.02.2025 को अल्वी नगर की पुलिया कीकड़ो के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त नफीस उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मृतक अबरार और मैं दोस्त थे, हम साथ में बैठकर शराब भी पीते थे। दिनांक 03.02.2025 को हम साथ में आकाश विहार में स्थित चारदीवारी वाले खाली प्लॉट मे बैठकर शराब पी रहे थे तभी हमारे बीच अबरार द्वारा मुझे दिये गये रुपयो के लेनदेन की बात पर बहस होने लगी और झगड़ा बढ़ गया और गुस्से में मैने पास मे पड़ी ईंट से पीटकर अबरार की हत्या कर दी और वहां से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

नफीस पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सैलपुरा थाना नूरपुर जिला बिजनौर हाल पता किराये का मकान (जमालुद्दीन) निकट तैयब मस्जिद जब्बार गार्डन थाना अंकुर विहार गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

आलाकत्ल एक अदद ईंट खून आलूदा जो घटनास्थल से थोड़ी दूर अभियुक्त ने चलकर दीवार के पास झाड़ी से बरामद कराया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा टावर की आर.आर.यू.चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक आर.आर.यू बरामद ।

दिनांक 05.02.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा टावर से आर.आर.यू. चोरी के सम्बन्ध में तहरीर दी गई जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अमित पुत्र रोहतास निवासी पूजा कालोनी पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी कस्बा क्षेत्र से मय टावर की एक आर.आर.यू. सहित गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ये सामान मैने इकराम नगर मुस्तफाबाद लोनी मे लगे एक मोबाइल टावर से चुराया था । मैं नशे का आदी हूँ और अपना नशे का सामान खरीदने के लिए मौका पाकर मोबाइल टावर से व सडक पर लगी लोहे की ग्रिल आदि सामान चोरी कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अमित पुत्र रोहतास निवासी पूजा कालोनी पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक अदद टावर का आर.आर.यू चोरी का बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.02.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र, अभियुक्त रोहित चौधरी व अन्य द्वारा बी.एस फार्म हाऊस (पंडाल) में घुसकर जान के मारने की नियत से वादी के परिवार व रिश्तेदारो पर हमला

देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 06/07.02.2025 की मध्य रात्रि को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त रोहित चौधरी पुत्र शुभम चौधरी निवासी तिबडा रोड हरिकुंज कालोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को मोदीनगर मेट्रो स्टेशन नोर्थ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को अन्तर्गत धारा-191(2)/191(3)/190/131/109/118(1) बीएनएस में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि शादी में खाना खाने के दौरान हमारी किसी बात को लेकर अंकुर कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम कंजरहेडी थाना बाबरी जनपद शामली से कहा-सुनी हो गई थी जिस कारण मैने अपने साथियो के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी थी।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

रोहित चौधरी पुत्र शुभम चौधरी निवासी तिबडा रोड हरिकुंज कालोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 02 अभियोग पंजीकृत है, अन्य इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी की अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर, वादी को डरा-धमका कर रूपये हड़पने वाले एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 20000/- रुपये नगद बरामद।

दिनांक 07.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी सूरज कुमार पुत्र बेनी माधव निवासी एफ 1/78 सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी, दिल्ली द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि दिनांक 30.01.2025 को गाजियाबाद में रहने वाली अनीशा उर्फ अनीता ने किसी जरुरी काम से मकान नं0 बी 1/150 ए डीएलएफ, तृतीय तल थाना शालीमार गार्डन पर बुलाया वहा पर पहले से ही नदीम खान व उसके साथी 02 अज्ञात व्यक्ति व 02 लड़किया मौजूद थे। उन व्यक्तियों के द्वारा मकान का दरबाजा बन्द कर मेरी अश्लील फोटो व वीडियोग्राफी बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 2,45,000/- रुपये नगद व मेरे हाथ में पहना सोने का कडा डरा धमका कर ले लिया। तत्काल थाना शालीमर गार्डन पुलिस द्वारा वादी की लिखित तहरीर पर धारा 308(6),127(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया तथा मैनुअल इनपट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 07.02.2025 को अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर, वादी को डरा-धमका कर रूपये हड़पने वाले 01 अभियुक्त नदीम खान पुत्र मोनी खान निवासी एस 11 बी 4 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व 01 अभियुक्ता अनीशा बेगम उर्फ अनीता पत्नी मोनी खान निवासी एस 11 बी 4 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को 20,000/- रुपये सहित डीएवी स्कूल के पीछे प्रेम गली राजेन्द्र नगर सेक्टर

02 थाना शालीमार गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्त व अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त व अभियुक्ता अनीशा बेगम उर्फ अनीता और वादी सूरज कुमार पूर्व से परिचित थे। अभियुक्ता ने किसी जरुरी काम से वादी सूरज को किराये के मकान पर बुलाकर अभियुक्त, अभियुक्ता व अन्य साथियो द्वारा वादी को कमरे में बन्द कर अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर डराया धमकाया गया व रुपयो की मांग की और कहा की रुपये न देने पर फोटो व वीडियो वायरल कर देगे। इसी डर से वादी सूरज ने अपने दोस्त दीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह को फोन करके 2,45000/- रुपये मगवाकर अभियुक्त व उसके साथियो को दिये गये तथा अभियुक्त व उसके साथियो द्वारा वादी के हाथ में पहना सोने का कड़ा भी ले लिया गया बरामद रुपये उन्ही रुपयों में से बचे रुपये है। बाकी रुपये अभियुक्त व उसके साथियो द्वार खर्च कर लिये गये है। वादी का सोने का कडा अभियुक्ता के शेष साथियों के पास है जिनसे तय हुआ था कि बेचकर हमारे हिस्से की धनराशि हमें दे देगे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता नाम व पता :-</u>

1. नदीम खान पुत्र मोनी खान निवासी एस 11 बी 4 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष
2. अनीशा बेगम उर्फ अनीता पत्नी मोनी खान निवासी एस 11 बी 4 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 20,000/- रुपये नगद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।